"मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना"

सरकारी एवं अनुदानित शिशु गृहों के आवासीयों (आयु 18 वर्ष से अधिक) को संस्था आधारित जीवन से समाज की मुख्यधारा में सामाजिक पुनर्समेकन तथा पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चों को स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा, कौशल विकास प्रदान करने के लिए "मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना" क्रियान्वित की जायेगी, ताकि इन बच्चों का पुर्नवास सम्भव हो सके।

1. योजना का नाम :: इस योजना का नाम *"मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना"* होगा।

2. उद्देश्य ::

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:--

1) राज्य में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय एवं अनुदानित बालगृह के आवासीयों के सामाजिक पुनर्समेकन के उद्देश्य से संस्था आधारित जीवन से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु गृह में आवासरत बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यवसायिक/तकनीकी कौशल विकास/उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना।

2) पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित बच्चों को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यवसायिक/तकनीकी कौशल विकास/उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना।

3) संबंधित व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम/शिक्षा पूर्ण होने के उपरान्त रोजगार की संभावनाऐं व सम्भावित उपार्जन हेतु विभाग द्वारा सर्वोत्तम प्रयास किये जायेगें।

3. योजना का क्रियान्वयन :

1) योजना का क्रियान्वयन अभिकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर होगा।

2) योजना के संचालन हेतु अनुदान स्वीकृति व अन्य सम्बन्धित कार्य सम्पादन हेतु प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सक्षम होंगे।

4. <u>पात्रता</u> :

1) राज्य में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय एवं अनुदानित बालगृह के वे आवासी, जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी है व जिनका निकट भविष्य में गृह में निवास की समयावधि पूर्ण होने के कारण निकास प्रस्तावित है, योजना में लाभान्वित होंगे।

2) पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चें, जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, योजना में लाभान्वित होंगे।

5. <u>अनुदान की स्वीकृति व अनुदान राशि का भुगतान :</u>

1) व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण :

1. योजनान्तर्गत राजकीय/अनुदानित बालगृहों में आवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बालक/बालिका एवं पालनहार के लाभार्थी बच्चों रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु विभाग राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन (आरमोल) के माध्यम से व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

2. योजनान्तर्गत राजकीय/अनुदानित बालगृह के अधीक्षक, गृह में आवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बालक/बालिका की योग्यता एवं इच्छित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम जानने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन (आरमोल) के माध्यम से संचालित व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे से कार्यक्रम चिन्हित करेगा।

3. राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन (आरमोल) के माध्यम से संचालित व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे से चिन्हित कार्यक्रम के जरिये प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में गृह अधीक्षक संबंधित बालक/बालिका की सूची जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उपलब्ध करायेगा।

4. पालनहार लाभार्थी राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन (आरमोल) के माध्यम से संचालित व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे से चिन्हित कार्यक्रम के जरिये प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के यहां अपना नाम सूचीबद्ध करायेगा।

5. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त बालक/बालिका की सूची आरमोल द्वारा आवासीय बच्चों के निकटतम प्रशिक्षणकर्ता संस्थान को उपलब्ध करायेगा।

6. राज्य सरकार संबंधित कार्यक्रम हेतु निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च सीधे राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन (आरमोल) को बच्चे के संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश देने के पश्चात् उपलब्ध करायेगी। योजनान्तर्गत लाभ की सीमा 21 वर्ष अथवा संबंधित कार्यक्रम के पूर्ण होने तक सीमित होगी।

7. योजनान्तर्गत बच्चों को अधिकतम 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जायेगा।

2) उच्च/तकनीकी शिक्षा :

1. योजनान्तर्गत राजकीय/अनुदानित बालगृहों में आवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बालक/बालिका एवं पालनहार के लाभार्थी बच्चों को उनकी योग्यता एवं इच्छित रोजगारोन्मुखी उच्च/तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा आर्थिक सहायता मुहिया कराई जायेगी।

2. योजनान्तर्गत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले बालक/बालिका ही पात्र होगें।

3. योजनान्तर्गत राजकीय/अनुदानित बालगृह के अधीक्षक एवं विभागीय जिलाधिकारी पात्रता रखने वाले बालक/बालिका की योग्यता एवं इच्छित कोर्स को चिन्हित करेगा। गृह अधीक्षक संबंधित बालक/बालिका की सूची जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उपलब्ध करायेगा।

4. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजकीय/अनुदानित बालगृह के समस्त बालक/बालिकाओं द्वारा चिन्हित कोर्स हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान को सीधे ही बच्चे के संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश देने पश्चात् निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च उपलब्ध करायेगी।

5. योजनान्तर्गत पालनहार लाभार्थी मान्यता प्राप्त संबंधित शिक्षण संस्थान में प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात ही संबंधित कोर्स फीस के पुर्नभरण हेतु प्रवेश प्राप्ति रसीद सहित प्रवेश के अधिकतम एक माह के अन्दर अपना आवेदन जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करेगा।

6. संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उच्च/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की आवश्यक जांच कर एक माह के अन्दर अनुदान जारी करने की स्वीकृति जारी करेगा।

7. योजनान्तर्गत संबंधित बालक/बालिका को कोर्स फीस का पुर्नभरण उसके बैंक बचत खाते में हस्तातरित कर किया जायेगा। योजनान्तर्गत लाभ की सीमा 21 वर्ष अथवा संबंधित कोर्स के पूर्ण होने तक सीमित होगी।

8. योजनान्तर्गत उन्हीं बालक/बालिकाओं को लाभ दिया जायेगा जो विभाग एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे है।

3) स्वरोजगार :

1. पात्रता रखने वाले बालक/बालिका के स्वरोजगार की स्थिति में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले सहयोग से संबंधित बालक/बालिका को स्वरोजगार करने हेतु आवश्यक उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने के लिए एकमुश्त राशि संबंधित बालक/बालिका को उसके बचत खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी, जो राशि रू. 50,000/– या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। इस राशि में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर वृद्धि की जा सकेगी।

2. योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बालक/बालिका स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उद्योग स्थापित करने के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अपना आवेदन जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करेगा।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता उसके बैंक बचत खाते में हस्तातरित कर दी जायेगी। योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बालक/बालिका की आयु 21 वर्ष के पूर्ण होने तक सीमित होगी।

4. विभाग द्वारा प्रयास किया जावेगा कि स्वरोजगार हेतु संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं (प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अनुजाति जनजाति वित्त विकास निगम, अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की ऋण योजनाओं इत्यादि) के अन्तर्गत लाभार्थी को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करेगा।

6. <u>निरीक्षण/निगरानी, अनुवर्तन एवं संचालन</u> :–

1) संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा जिसमें प्राप्त आवेदन की तिथि, आवेदक का नाम व पता, स्वीकृति की तिथि, स्वीकृत राशि एवं बैंक खाते में राशि जमा कराने की तिथि अंकित की जायेगी।

2) संबंधित जिलाधिकारी योजना में होने वाले व्यय का विवरण एवं लाभान्वितों की सूची प्रत्येक माह विभागीय निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

3) संबंधित कार्यक्रम के समाप्ति एवं कार्यक्रम दौरान योजनान्तर्गत लाभान्वितों से फोलोअप किया जायेगा ताकि कार्यक्रम के दौरान आ रही समस्याओं को निपटारा किया जा सके।

4) योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु गृह में आवासरत बालक/बालिकाओं एवं पालनहार लाभान्वितों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी, इसमें प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।

5) शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक, प्रभारी अधिकारी, जिलाधिकारी, जिला बालक अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित व्यवसायिक/

तकनीकी/शिक्षण संस्थान का समय–समय पर एवं अकस्मात निरीक्षण कर संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा का आकलन कर सुधार हेतु आवश्यक देगें।

6) योजनान्तर्गत संबंधित समस्त रिकॉर्ड पत्रावली, आवेदन पत्र, लेखा संबंधित रिकॉर्ड, लाभार्थियों का विवरण आदि का संधारण विभाग के संबंधित जिला कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

7) उक्त सभी अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन की एक–एक प्रति क्रमशः निदेशालय, अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं स्वंय का कार्यालय को सूचनार्थ/पालनार्थ आवश्यकरूप में भेजेंगे।

7. <u>विशिष्ट</u> :–

1) राज्य सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत इस योजना के लिए (यदि कोई हो) निर्धारित अभिलेख/जॉच/निरीक्षण प्रतिवेदनों, अनुबन्ध पत्र, शर्तो आदि में विभाग समय–समय पर संशोधन कर सकेगा।

2) लाभार्थी के योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, योजना की मार्गदर्शिका के किसी बिन्दु की व्याख्या/शिथिलन, किसी भी विवाद में प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)( )मुवाअ/सान्याअवि/12/ 24281 जयपुर, दिनांक : 5/3/2013

आदेश

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के संचालन हेतु विभाग द्वारा जारी नियम, 2011 में निम्न संशोधन एतद् द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

नियम 5(1) व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण

राज्य में 17–21 आयु वर्ग के पालनहार योजना के लाभान्वित एवं किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं संशोधित अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय अनुदानित बाल गृहों के आवासियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) द्वारा संचालित ज्ञान केन्द्रों को सम्मिलित किया जाता है।

उक्त संशोधन योजना संचालन नियम 7(2) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 14(1)( ) आई.सी.पी.एस /मुवाअ/सान्याअवि/12/ 24282-425 जयपुर, दिनांक : 5/3/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई.................................।
4. उप निदेशक, आई.सी.पी.एस., जयपुर।
5. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सान्याअवि ....।
6. समस्त अध्यक्ष/ सदस्य, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड,.....................।
7. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालगृह/बालिकागृह/विशेष गृह.. ....।
8. समस्त अध्यक्ष/सचिव/संस्था प्रधान अनुदानित बाल गृह ....।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग